न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
25/2021	दावा 88, 91 RTA	22.02.2021	15.03.2022

सन्तोष पुत्री चुनाराम पत्नी सुमेर उम्र 36 वर्ष जाति मेघवाल निवासिनी सिरसली तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादिनी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

3. कविता पुत्री
4. बादू पुत्री
5. मनभरी पुत्री
6. विनोदकुमारी पुत्री
7. सावित्री पुत्री
8. मामकोरी पत्नी
9. मालीदेवी पत्नी
10. रामनाथ पुत्र

} चुनाराम जाति मेघवाल निवासीगण सिरसली तहसील व जिला चूरू

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री रामप्रसाद वादिनी
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

निर्णय

वादिनी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादिनी ग्राम सिरसली हाल लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू की निवासिनी है व गौण प्रतिवादी सं. 3 से 7 सभी बहिनें, 8 व 9 माता एवं 10 वादिनी का भाई है। वादगत कृषि भूमि ख.नं. 170, 40 तादादी क्रमशः 4.8056 हैक्टेयर व 5.9185 हैक्टेयर कुल तादादी 10.7241 हैक्टेयर रोही सिरसली तहसील व जिला चूरू वादिनी एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें वादिनी का 1/8 हिस्सा कब्जा काश्त व खातेदारी का आया हुआ है। उक्त कृषि भूमि वादिनी की पैतृक भूमि है। वादिनी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में वादिनी का नाम भूलवश गलती से माता–पिता द्वारा लाड़ प्यार से पुकारा जाने वाला नाम प्रमोदकुमारी दर्ज हो गया जबकि वादिनी का सही व सत्य नाम सन्तोष है। वादिनी के समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि में नाम सन्तोष अंकित है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रमोदकुमारी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी का गलत नाम दर्ज होने के कारण उसे राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं लेने में बड़ी हैरानी, परेशानी रहती है तथा वादिनी सुविधाओं से वंचित रह जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादिनी द्वारा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने का आवेदन करने पर यह जानकारी हुई कि आधार कार्ड में सन्तोष नाम एवं जमाबन्दी में प्रमोदकुमारी नाम अंकित होने से उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। वादिनी ने इस बाबत तहसीलदार, चूरू से सम्पर्क किया तो पता चला कि उक्त योजना का वादिनी का आवेदन नाम भिन्नता के कारण रोका गया व निरस्त कर दिया गया जिससे वादिनी सुविधाओं से वंचित हो गई। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने का पता चलने पर वादिनी ने प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम मूल दस्तावेजों के अनुसार सही अंकन करवा देवें मगर प्रतिवादी टालमटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 15.12.2020 को प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया, लिहाजा इसी दिनांक 15.12.2020 से वादिनी को विरूद्ध प्रतिवादी वाद आधार तथा वाद हैतुक हासिल है। इसलिए वादिनी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाये जिसके लिए वादिनी ने यह दावा न्यायालय में पेश किया है।

राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती का अंकन करने का समस्त दायित्व तहसीलदार, चूरू को होने से प्रतिवादी सं. 1 आवश्यक पक्षकार है। वादिनी का 1/8 हिस्सा बैंक के रहन रखा गया है इसलिए बैंक को पक्षकार बनाया गया है। वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 बैंक के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। गौण प्रतिवादी सं. 3 से 10 को सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। दावा के पक्षकारों के निवास स्थान एवं वादगत कृषि भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं इसलिए माननीय न्यायालय को दावा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी का दावा बहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) वादिनी की कृषि भूमि ख.नं. 170, 40 तादादी क्रमशः 4.8056 हैक्टेयर व 5.9185 हैक्टेयर कुल तादादी 10.7241 हैक्टेयर रोही सिरसली तहसील व जिला चूरू में वादिनी के 1/8 हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में नाम प्रमोदकुमारी के बजाय सन्तोष पुत्री चुनाराम किये जाने की डिक्री जारी की जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार, चूरू को तद्नुसार उक्त खसरों के राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के लिए पाबन्द किया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो हितकर वादिनी हो या दौराने दावा सुनवाई न्यायोचित हो जावे वह भी वादिनी को दिलवाया जावे।

वादिनी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं जवाब न देकर "No Objection" अंकित किया। प्रतिवादी सं. 2 एवं गौण प्रतिवादी सं. 3 से 1[illegible] के बावजूद उपस्थित नहीं आये।

प्रतिवादी सं. 1 [illegible] उपस्थित पैरोकार राज द्वारा "No Objection" अंकित करने पर अधिवक्ता वादिनी ने कथन किया कि दावा के मुख्य प्रतिवादी सं. 1 द्वारा "No Objection" अंकित किया है तथा प्रति[illegible] सं. 2 से 10 के खिलाफ हमें कोई हानिप्रद अनुतोष नहीं चाहिए क्योंकि दावा केवल वादिनी के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करवाने बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है। इसलिए पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत फरमायी जावे। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादिनी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वादिनी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। पैरोकार राज द्वारा कथन किया गया कि साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी भी बन्द की जाकर अधिवक्ता वादिनी व पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील वादिनी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादिनी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद दर्ज विरासतन इन्तकाल में वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का परिवार में माता–पिता द्वारा लाड़ प्यार से पुकारा जाने वाला नाम प्रमोदकुमारी दर्ज हो गया जबकि वादिनी के समस्त दस्तावेजों में उसका नाम सन्तोष अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम गलत दर्ज होने से उसे किसान सम्मान निधि व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा उसके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वादिनी ने वादगत कृषि भूमि में अपने नाम को दुरुस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें मुख्य प्रतिवादी सं. 1 ने अनापत्ति प्रकट की है। अतः दावा वादिनी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम प्रमोदकुमारी के स्थान पर सन्तोष पुत्री चुनाराम अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि वादिनी का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में वादिनी का नाम उसके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा पर कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 170, 40 तादादी क्रमशः 4.8056 हैक्टेयर व 5.9185 हैक्टेयर कुल तादादी 10.7241 हैक्टेयर रोही सिरसली में वादिनी का नाम प्रमोदकुमार पुत्री चूना हिस्सा 1/8 जाति मेघवाल निवासी सिरसली खातेदार राहिन हिस्सा 1/8 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरू दर्ज है जिसको वादिनी दुरुस्त करवा कर सन्तोष पुत्री चुनाराम करवाना चाहती है। वादिनी के राशन कार्ड सं. 007056500117, आधार कार्ड सं. 831275723901, मतदाता पहचान पत्र सं. HDC/1239946, भामाशाह कार्ड सं. 9999-FL5T-00011, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.)/18101513570, पेन कार्ड सं. NVZPS3428F में वादिनी का नाम सन्तोष अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत सिरसला द्वारा वादिनी के नाम के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.01.2021 का भी अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि "प्रमाणित किया जाता है कि प्रमोदकुमारी पुत्री श्री चूनाराम जाति मेघवाल निवासी सिरसली तहसील व जिला चूरू का नाम जमाबन्दी में यह है। इनकी शादी लोहसना छोटा के सुमेरसिंह पुत्र श्री मंगनाराम मेघवाल के साथ होने पर आधार कार्ड, ... राशन कार्ड में सन्तोष पत्नी श्री सुमेरसिंह जाति मेघवाल निवासी लोहसना छोटा के नाम से रेकार्ड में दर्ज हो गया है। कुमारी प्रमोद व सन्तोष पुत्री चुनाराम ... एक ही नाम हैं, पुराना प्रमोद व नया सन्तोष है। इनको मैं भली भांति व व्यक्तिगत रूप से जानती हूं।" प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार राज ने "No Objection" अंकित करते हुए बहस में कथन किया है कि वादिनी का नाम उनके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन व बहस के तथ्यों पर मनन से यह तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 170, 40 तादादी क्रमशः 4.8056 हैक्टेयर व 5.9185 हैक्टेयर कुल तादादी 10.7241 हैक्टेयर रोही सिरसली में वादिनी का नाम प्रमोदकुमार पुत्री चूना दर्ज है जिसको वादिनी दुरुस्त करवाना चाहती है। वादिनी का नाम सन्तोष के स्थान पर प्रमोदकुमारी गलत दर्ज हो गया है जबकि वादिनी के समस्त दस्तावेजों में वादिनी का नाम सन्तोष अंकित है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नामों में भिन्नता होने से वादिनी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रत्यक्ष है। वादिनी वादगत कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा की संयुक्त खातेदार काश्तकार है। इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम प्रमोदकुमारी के स्थान पर अपने दस्तावेजों में अंकित नाम सन्तोष के अनुरूप दुरुस्त करवाने का अधिकार है। वादिनी की 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 2 बैंक के रहन है तथा वादिनी द्वारा रहनकर्ता बैंक के खिलाफ कोई हानिप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम दुरुस्त होने पर भी उसका 1/8 हिस्सा यथावत् रहन ही दर्ज रहना है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम दुरुस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार वादिनी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के "No Objection" के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

अतः वादिनी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के "No Objection" के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 170, 40 तादादी क्रमशः 4.8056 हैक्टेयर व 5.9185 हैक्टेयर कुल तादादी 10.7241 हैक्टेयर रोही सिरसली तहसील व जिला चूरू में वादिनी का नाम प्रमोदकुमारी पुत्री चूना के स्थान पर सन्तोष पुत्री चुनाराम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगा। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

सन्तोष पुत्री चुनाराम पत्नी सुमेर उम्र 36 वर्ष जाति मेघवाल निवासिनी सिरसली तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादिनी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

3. कविता पुत्री
4. बादू पुत्री
5. मनभरी पुत्री
6. विनोदकुमारी पुत्री
7. सावित्री पुत्री
8. मामकोरी पत्नी
9. मालीदेवी पत्नी
10. रामनाथ पुत्र

} चुनाराम जाति मेघवाल निवासीगण सिरसली तहसील व जिला चूरू

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 25 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रामप्रसाद एडवोकेट वादिनी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादिनी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादिनी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के "No Objection" के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 170, 40 तादादी कमशः 4.8056 हैक्टेयर व 5.9185 हैक्टेयर कुल तादादी 10.7241 हैक्टेयर रोही सिरसली तहसील व जिला [illegible] विनोदकुमारी पुत्री चूना के स्थान पर सन्तोष पुत्री चुनाराम दुरुस्त करने का [illegible] जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगा। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित [illegible] रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15 माह मार्च सन् 2022 को जारी की गई।

(राहुल सैनी)

उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:51 IST
Reason: SelfAttested